



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 327-पें एवं आर०-28/पाकालि/24-02-पें एवं आर०/24

दिनांक: ०२ मार्च, 2024

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
डी०एल०डब्ल्यू भिखारीपुर,
वाराणसी ।

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
4-ए, गोखले मार्ग,
लखनऊ ।

प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
ऊर्जा भवन, 220 के०वी० सबस्टेशन,
सिकन्दरा बाईपास रोड, आगरा ।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क,
मेरठ ।

प्रबन्ध निदेशक,
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०,
केसा हाउस,
कानपुर ।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०),
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०.,
शक्ति भवन,
लखनऊ ।

मुख्य अभियन्ता (जानपद),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

विषय : सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद विभागीय आवास को रिक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में हो रहे विलम्ब की स्थिति को दूर किये जाने सम्बन्धी पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश: 893-पेंशन-31/रा०वि०प०/461 (पी)/89 दिनांक 21.06.1991 द्वारा अंगीकृत शासनादेश संख्या: सा-3-1713/दस-87-933/89 दिनांक 28.07.1989 के बिन्दु संख्या-(5)(क)(2) में निहित प्राविधान, जो कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्मिकों के सम्बन्ध में निम्नवत् है -

विभागीय भवनों में निवास करने वाले कार्मिकों से यह आशा की जाती है कि वे विभागीय भवनों को सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद खाली कर दें किन्तु यदि विभाग की सम्बन्धित नियन्त्रक इकाई कार्मिक से उसकी सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद विभागीय भवन खाली न करा पाये तो सेवानिवृत्ति के बाद के चार माह का किराया (एक माह का किराया सामान्य दर पर तथा शेष तीन माह का किराया मानक दर पर) पेंशनर की ग्रेजुटी से वसूल कर लिया जायेगा और उससे आगे के किराये की वसूली अथवा भवन खाली कराने की जिम्मेदारी नियन्त्रक इकाई के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की होगी।

अतएव पेंशन प्रकरणों को त्वरित एवं ससमय निष्पादित किये जाने के दृष्टिगत, कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु (5) (क) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के विभागीय आवास का अदेयता प्रमाण-पत्र, प्राथमिकता के आधार पर कार्मिक के सेवानिवृत्ति के माह के प्रथम सप्ताह में निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में अपने नियन्त्राणाधीन इकाई/इकाईयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कमलेश बहादुर सिंह)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या: 327 (i)-पै० एवं आर०-28/पाकालि/24-02-पै० एवं आर०/24 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/डिस्कॉम।
- 4- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/डिस्कॉम।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव/अधीक्षक अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/डिस्कॉम।
- 7- समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/डिस्कॉम।
- 8- समस्त उप सचिव/अनु सचिव/समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/डिस्कॉम।
- 9- लेखाधिकारी (पेंशन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 11- प्रमुख महासचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, 22 ऑफ स्टेशन रोड, छितवापुर, भुइयन, लखनऊ।
- 12- महासचिव, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ०प्र०), इन्द्रलोक कालेनी, कानूनगोयान, बरेली।
- 13- कट फाइल।

आज्ञा से,

21.3.1

(राज कुमार रस्तोगी)

अपर सचिव (तृतीय)